<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**</u>

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2410—दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 01—12—06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 113/2004—05/अपील.

1— फूलसिंह पुत्र श्री मनीराम (मृतक) वारिसान —
अ— रामसिया पुत्र स्व. श्री फूलसिंह
ब— गुलाबसिंह पुत्र स्व. श्री फूलसिंह
स— पदमसिंह पुत्र स्व. श्री फूलसिंह
निवासीगण ग्राम ऊमरी तहसील जिला भिण्ड

2— गयाप्रसाद पुत्र श्री मनीराम
निवासी ग्राम ग्राम ऊमरी तहसील जिला भिण्ड ----- आवेदकगण

<u>**विरूद्ध**</u>

1— जयवन्ती पुत्री बंशी पत्नी नवाबसिंह यादव
निवासी ग्राम छोटी डिडी
तहसील भिण्ड जिला भिण्ड

2— केदारसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

3— बरूहासिंह पुत्र महेन्द्रसिंह यादव
निवासी किटी हाल ऊमरी तह. व जिला भिण्ड

4— विद्दोला पुत्री वंशी पत्नी प्रेमसिंह यादव
निवासी ग्राम विलाव तहसील व
जिला भिण्ड म.प्र. ---- अनावेदकगण

श्री आर. डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 2, 3 एवं 5

....

<u>**:: आ दे श ::**</u>

(आज दिनांक ०७ जुलाई २०१८ को पारित)

....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 113/2004—05/अपील में पारित आदेश दिनांक 01—12—2006 के विरूद्ध म0प्र0

भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आावश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही होकर बंदोवस्त अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.6.96 द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त अवसर देकर प्रकरण के निराकरण के आदेश दिए थे । बंदोवस्त समाप्त होने पर प्रकरण 2000 में तहसील न्यायालय में अंतरित हुआ । इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत है । उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जो अभिलेख पर आधारित है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में जिन न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को समस्त उत्तराधिकारियों एवं पुत्रियों को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त का आदेश उचित, न्यायिक और समतामय है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर